उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,

राज्य निर्वाचन आयोग परिसर, बाईपास रिंग रोड, देहरादून।

(दूरभाष/फैक्स–0135–2669658 ई–मेल–chayanayog@gmail.com)

पत्रांक– 245 दिनांक–23/05/2019

कार्यालय ज्ञाप।

विषय– पद कोड– 87 सहायक अध्यापक (एल0टी) पद पर आयोग को प्राप्त हो रहे मंडल परिवर्तन के अनुरोधों के सम्बन्ध में ।

आयोग को ऐसे अभ्यर्थियों (जिनके सम्बन्ध में आयोग नियोक्ता विभाग को चयन संस्तुति भेज चुका हैं) के अनुरोध पत्र प्राप्त हो रहे है, जिन्हे पूर्व में अपने प्रथम विकल्प के अनुसार मंडल संवर्ग आवंटित नहीं हुआ है अतः यदि अब सम्बन्धित (प्रथम विकल्प वाले) मंडल में कोई रिक्ति उपलब्ध होती है तो उन्हे मंडल परिवर्तन का अवसर दिया जाय। उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा सहायक अध्यापक के पद पर भेजी गई संस्तुति के सापेक्ष अधिकांश अभ्यर्थियों की प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में तैनाती भी हो चुकी है। अतः उनका आयोग द्वारा निम्न कारणों से मंडल परिवर्तन के उपरोक्त अनुरोधों को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया है।

1– ऐसे अभ्यर्थी , आयोग जिनकी संस्तुति भेज चुका है एवं जो सेवा में योगदान भी दे चुके है, उनके मण्डल परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए आयोग का समुचित क्षेत्राधिकार नहीं है क्योकि वे अब विद्यालयी शिक्षा विभाग के कार्मिक बन चुके है। इसके अतिरिक्त मण्डल विकल्प कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिसका प्रत्येक दशा में पालन आवश्यक हो। पूर्व में प्राप्तांक के आधार पर गढ़वाल या कुमाऊँ मण्डल का विकल्प अभ्यर्थियों को मिला है,जो उचित है।

2– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय तथा राज्य सरकार के निर्देशों के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थिति में यह द्वितीय चरण का चयन किया जा रहा है। अतः पूर्व में हो चुके चयन को इसके कारण संशोधन करना उचित नहीं होगा।

3–यदि ऐसे अनुरोध स्वीकार किये जाते है, तो इससे जिन विद्यालयों को अध्यापक मिल चुके है उनके छात्रों की सीधी हानि का कारण भी बन सकता है, जो जनहित में नही होगा।

4–दोनो मण्डल अलग–अलग संवर्ग है और संवर्ग परिवर्तन से आगे वरिष्ठता आदि के विवाद भी आ सकते है, जिसमें आयोग को भी पक्षकार बनाया जा सकता है व अन्य विधिक कठिनाई भी हो सकती है।

अतः ऐसे सभी प्रत्यावेदनों को तथा भविष्य में प्राप्त होने वाले अनुरोधों को उपरोक्तानुसार निरस्त समझा जायें।

आज्ञा से

23/5

सचिव